निबंधित

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक..............
5(स0) (चन्द्रा रेडिमेड) 04/2016

दिनांक..................

प्रेषक,

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

सर्वश्री चन्द्रा रेडिमेड गारमेन्ट,
एक्सपोर्ट हाऊस,
प्लॉट नं0– C- 23,
औद्योगिक क्षेत्र पाटलीपुत्रा,
पटना – 13

विषयः– **दायर अपीलवाद 04/2016 में पारित आदेश के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक सर्वश्री चन्द्रा रेडिमेड गारमेन्ट, पाटलीपुत्रा बनाम बियाडा के मामले में सुनवाई के उपरान्त पारित आदेश की छायाप्रति सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु0:– यथोक्त।

विश्वासभाजन,

ह0/–
उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 1456 दिनांक 06-04-17

प्रतिलिपिः– प्रबंध निदेशक, बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार, उद्योग भवन, पूर्वी गांधी मैदान, पटना को पारित आदेश की छायाप्रति के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित/आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

6/4/17

उप सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

6/4/17

E:\Sachwalay data d\drive g\OLD DATA\drive d\Appeal\ad 2.doc 842

आ दे श फ ल क

अपील संख्या 04/2016

सर्वश्री चन्द्रा रेडिमेड गारेमेंट एक्सपोर्ट हाउस, औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा

बनाम्

प्रबंध निदेशक, बिहार, औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार

29.03.2017

यह अपील मेसर्स चन्द्रा रेडिमेड गारेमेंट एक्सपोर्ट हाउस, औद्योगिक क्षेत्र,पाटलीपुत्रा,द्वारा बियाडा के आदेश ज्ञापांक 35/डी0 दिनांक 05.01.2016 जिसके द्वारा उनका भूमि आवंटन रद्द कर दिया गया है, के विरुद्ध दायर किया गया है। उभय पक्ष उपस्थित हैं। उभय पक्षों को सुना।

अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बताया गया कि 'बियाडा' द्वारा उन्हें औद्योगिक क्षेत्र, पाटलीपुत्रा में कुल रकवा 1875 वर्गफीट भूमि उद्योग लगाने हेतु कार्यालय पत्रांक 339 दिनांक 29.03.2001 द्वारा आवंटित किया गया था। इकाई द्वारा परिसर का निर्माण कराये जाने के बावजूद बियाडा द्वारा ज्ञापांक 1650 दिनांक 05.06.2007 द्वारा भूखंड को रद्द कर दिया गया, जिसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय में वाद दायर किया। निदेशक पर्षद की 26 वीं बैठक में इकाई का भूआवंटन का पुर्नबहाल सशर्त पत्रांक 3956/डी0 दिनांक 23..07.2008 द्वारा किया गया। अंत में अपीलकर्ता ने बियाडा के आदेश ज्ञापांक 35/डी0 दिनांक 05.01.2016 को निरस्त करने का अनुरोध किया है।

उभय पक्षों के तर्कों को सुनने एवं समर्पित लिखित अभिकथन के अवलोकनोंपरान्त 'बियाडा' के प्रबंध निदेशक को यह निदेश दिया जाता है कि इकाई के कार्य स्थल का निरीक्षण कराकर निरीक्षण प्रतिवेदन इस बिन्दु पर दें, कि अद्यतन कार्य स्थल पर इकाई द्वारा किस प्रकार की गतिविधि की गई है। तत्क्षण बियाडा द्वारा निर्गत ओदश ज्ञापांक 35/डी0 दिनांक 05.01.2016 को आदेश निर्गत की तिथि से मात्र 15 दिनों के लिए स्थगित किया जाता है। 15 दिनों के पश्चात् स्थगन आदेश स्वतः निरस्त हो जायेगा।

उभय पक्षों को सूचित करें।

29/03/2017

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

लेखापित एवं शुद्धित,

29/03/2017

प्रधान सचिव

उद्योग विभाग, बिहार पटना।

D:mydocument A.Roy Adeshfalak